उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-10/2025/आई/846318/23-1-25-23-1099/14/2024

लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2025

अधिसूचना

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 06.12.2024 द्वारा 03 जनपदों यथा शाहजहाँपुर, बलरामपुर व जौनपुर के निम्नलिखित 03 मार्गों, कुल लम्बाई 126.625 कि0मी0 को प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी में उच्चीकरण किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-1061/2023/सा0-2296/23-1-2023-23-1099/196/2023, दिनांक 12.12.2023 में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में, सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपर्युक्त जनपदों के उक्त 03 मार्गों, कुल लम्बाई 126.625 कि0मी0 को उच्चीकृत करते हुए प्रमुख जिला मार्ग में परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	जनपद	प्रस्तावित मार्ग का नाम	यातायात घनत्व (पी0सी0यू0 में)	लम्बाई (कि0 मी0)	7 मी0 से कम चौड़ाई		भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता		प्रमुख जिला मार्ग संख्या
					लम्बाई (कि0मी0)	लागत (रू0 लाख में)	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत (रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिनका आंशिक भाग पूर्व में 7.00 मीटर चौड़ाई में निर्मित है, परन्तु शेष भाग में चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।)									
1	शाहजहाँपुर	एस0एच0-126 के खेड़ा बझेडा से गढ़िया रंगीन खमरिया बरूआ मार्ग	6735 6130 **(02 मार्गों का पृथक-पृथक)**	26.915	26.915	7563.750	0.000	0.000	MD197W

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	जनपद	प्रस्तावित मार्ग का नाम	यातायात घनत्व (पी0सी0यू0 में)	लम्बाई (कि0 मी0)	7 मी0 से कम चौड़ाई		भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता		प्रमुख जिला मार्ग संख्या
					लम्बाई (कि0मी0)	लागत (रू0 लाख में)	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत (रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	बलरामपुर	उतरौला पचपेडवा चन्दनपुर मार्ग	10720	55.700	38.000	12350.000	0.000	0.000	MD209E
ऐसे मार्ग जिनका आंशिक भाग पूर्व में 7.00 मीटर चौड़ाई में निर्मित है, परन्तु शेष भाग में चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है।									
3	जौनपुर	जौनपुर मल्हनी खुटहन पट्टी सरपतहा मार्ग	6020 6045 6120 6331 **(04 मार्गों का पृथक-पृथक)**	44.010	44.010	7500.000	44.010	30000.000	MD208E

2- उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-10/2025/आई/846318/23-1-25-23-1099/14/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमती नगर, लखनऊ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
7- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
10- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
13- गार्ड फाइल

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।